दावा

337/2022

बाबूलाल बनाम सुशीला देवी आदि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
6/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी एवं वादी उपस्थित नहीं। कई-2 आवाज लगवाली गयी। परन्तु हाजिर नहीं। अन्तिम बार सायं 4:00 P.M. पर आवाज लगवायी गयी, फिर भी उपस्थित नहीं। अतः पत्रावली बाबी वकील एवं वादी को अदम-हाजरी, अदम-पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुदा होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई